कर्मचारी चयन आयोग का नागरिक चार्टर

(i) कर्मचारी चयन आयोग का विजन और मिशन विवरण

क) सरकार के लिए समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) स्तरीय पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना।

ख) ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं विकसित करना जो सुशासन के लिए अनुकूल जनशक्ति की भर्ती को सक्षम बनाएगी।

ग) सरकार के लिए कार्मिकों की भर्ती में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

घ) उपयोगकर्ता संगठनों को समय पर उपयुक्त और पर्याप्त जनशक्ति प्रदान करना।

ङ) त्रुटि रहित पूर्ण सटीकता, समय पर परिणाम और तत्काल नामांकन के माध्यम से नौकरी के आवेदकों को पूर्ण संतुष्टि का आश्वासन देना।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा

क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालयों में 4800/- रुपये के ग्रेड वेतन में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख' (राजपत्रित) पद की भर्ती।

ख) भारत सरकार और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 4800/- रुपये के ग्रेड वेतन तक समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की भर्ती।

ग) भारत सरकार और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ग' गैर-तकनीकी पदों की भर्ती।

घ) सरकार द्वारा सौंपे गए सीमित विभागीय परीक्षाओं का संचालन।

ङ) चयन द्वारा भारत सरकार के कुछ पदों की भर्ती।

च) अधिदेशित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा, आयोग से असम राइफल्स में सीएपीएफ और राइफलमैन में कांस्टेबल (जीडी) की भर्ती के लिए गैर- अधिदेशित परीक्षा आयोजित करने की भी अपेक्षा की जाती है। आयोग को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर (कार्यकारी) की भर्ती करने के लिए भी कहा गया है।

छ) एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों पर कार्रवाई करना और समयबद्ध तरीके से परिणाम घोषित करना।

(iii) 'नागरिक' या 'ग्राहक' का विवरण

कर्मचारी चयन आयोग और उपयोगकर्ता विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने वाले सभी उम्मीदवार ग्राहक हैं। 2014-15 के दौरान विज्ञापित नौ अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं के लिए कुल 17790619 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न चयन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 263316 थी और विभागीय परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या 658 थी।

(i v) प्रत्येक नागरिक/ ग्राहक समूह के लिए अलग-अलग प्रदत्त मानकों, गुणवत्ता, समय सीमा आदि सहित सेवाओं का विवरण और सेवाएं कैसे/ कहां प्राप्त करें

परीक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगकर्ता/ ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए आयोग समय-समय पर इसकी समीक्षा करता है और इसमें सुधार करता है। इस संबंध में आयोग द्वारा निम्नलिखित कुछ पहल किए गए हैं:

क) ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरूआत।
ख) उपयोगकर्ता विभागों से रिक्तियों के ऑनलाइन संग्रहण की शुरुआत।
ग) ऑनलाइन डेटा सत्यापन प्रणाली की शुरूआत। इसके परिणामस्वरूप त्रुटि रहित डेटा प्राप्त हुआ है, इसके अलावा उम्मीदवारों को उनके द्वारा भरे गए विवरणों की दोबारा जांच करने और फॉर्म भरने के समय उनके द्वारा की गई अनजाने में हुई गलतियां, यदि कोई हो, ठीक करने का अवसर प्रदान किया गया है।
घ) ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की शुरूआत। इसके परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई को कम करने और समय की काफी बचत करने के अलावा आरटीआई आवेदनों का अधिक कुशल निपटान हुआ है।

v) शिकायत निवारण तंत्र का विवरण और इसका लाभ कैसे प्राप्त करें

सरकार ने सीपीजीरैम्स के माध्यम से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीरैम्स) के तहत ऑनलाइन लोक शिकायतों के निपटान का कार्यक्रम शुरू किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से सीपीजीरैम्स के तहत उम्मीदवारों/ आम जनता से याचिकाओं/ अभ्यावेदन के रूप में प्राप्त लोक शिकायतों का आयोग के संबंधित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन निवारण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप शिकायतों का त्वरित निपटान और प्रभावी निगरानी हुई।

vi) 'नागरिकों' या 'ग्राहकों' की अपेक्षाएं

क) उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सूचित रिक्तियों को समय पर भरना।
ख) उपयुक्त नौकरियों से उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन।
ग) परीक्षा का निष्पक्ष संचालन।
घ) उम्मीदवारों के उपयोग के लिए वर्ष विशेष में परीक्षा कार्यक्रम/ परीक्षा कैलेंडर संबंधी सूचना समय पर अपलोड करना।
ङ) परीक्षा सूचना का समुचित प्रचार।
च) परीक्षा का समय पर संचालन।
छ) परिणामों की समय पर घोषणा।
ज) चयनित उम्मीदवारों का समय पर नामांकन।